एक नजर में

आज होगा सैन जी महाराज की छतरी का अनावरण

देवास। सिविल लाइन रोड स्थित तिराहे पर सैन जी महाराज की छतरी का अधिकृत रूप से होगा अनवारण। तिराहे का सौंदर्यीकरण, लगा हाईमास्ट, विकसित गार्डन से छतरी होगी सुशोभित। 25 लाख की लागत से सिविल लाइन स्थित तिराहे पर विराजित सैन जी महाराज की छतरी का देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, श्रीमती गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, जिलाध्यक्ष रायसिहं सेंधव, विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, आयुक्त दलीप कुमार के विशेष आतिथ्य में होगा अनावरण। नेता सत्तापक्ष मनीष सेन ने बताया कि वार्ड 25 में राशि 25 लाख की लागत से निगम ने विकसित किया तिराहा। सिविल लाईन तिराहे पर स्थित सैन जी महाराज की छत्री के निर्माण के साथ विकसीत गार्डन ओर हाईमास्ट का कार्य सम्पन्न हुआ। आज मंगलवार 10 फरवरी को विधायक पवार अतिथियों के साथ करेंगे छत्री का अनावरण।

समयावधि पत्रों का निराकरण नही होने पर लगाई फटकार

देवास। अवैध से वैध नल कनेक्शनों पर दिये गये लक्ष्य के अनुरूप उपयंत्रियों के कार्य नही करने पर आयुक्त दलीप कुमार ने लगाई फटकार, वहीं प्र.स्वच्छता निरीक्षक ने भी कार्य मे बरती लापरवाही, सिवरेज कनेक्शन के दिये लक्ष्य को एक हफ्ते के टारगेट को पूरा नही किया तो आयुक्त ने सूचना पत्र जारी करते हुये कार्यवाही करने की दी चेतावनी। विद्युत विभाग की एल.टी., एच.टी. प्लांटों की मोटरें एवं बोरवेल की मोटरों की दक्षता को लेकर चर्चा की ओर कार्य प्रगति की रिपोर्ट उपयंत्री को देने हेतु कहा। स्वनिधि से समृद्धि योजना के लक्ष्यों को भी एक हफ्ते मे पूरा नही करने पर विशाल जगताप को दी चेतावनी, लक्ष्य पूरा नही होने पर होगी कार्रवाई। स्वनिधि के कार्यो मे प्रगति लाने को आयुक्त ने कहा। श्री जगताप को शासन की योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड उपलब्धता की प्रगति में गतिलाने हेतु कहा। आयुक्त ने प्र. स्वास्थ्य निरीक्षक भूषण पवार को फटकार लगाते हुये मेंढकी स्थित वार्ड में कचरा पाईंट मिलने तथा पूर्व मे बताये गये स्वच्छता के कार्यो को समय पर नहीं करने पर चेतावनी देते हुये अपने कार्य मे सुधार लाने हेतु कहा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया को वार्डो में फौकस रखने तथा प्रतिदिन सभी सफाई मित्रों की उपस्थिती चेक कर वार्ड में कार्य पर उपस्थित होने की रिपोर्ट देने हेतु कहा। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुये चारों उपायुक्त प्रतिदिन वार्डो में सुबह निरीक्षण करेगें साथ ही कार्यो मे सुधार हो को लेकर वार्डो मे जायेगें। वहीं प्र.स्वच्छता निरीक्षक विजय सांगते ने लक्ष्य अनुरूप सिवरेज कनेक्शन नही करने पर कारण बताओ सूचना पत्र दिया तथा सभी एसआई को एक हफ्ते मे सुधार कर लक्ष्य पूर्ति करने हेतु स्पष्ट चेतावनी दी। एनयुएलएम में शासन की योजना अन्तर्गत स्वीकृती हेतु आवेदनों को चेक करने को उपायुक्त जाकिर जाफरी को कहा तो स्थापना उपायुक्त को समय पर पेंशन केस की फाईल प्रस्तावित हो, के निर्देश दिये। कर्मचारी रिटायरमेंट के पहले पेंशन केश, अन्य दी जाने वाली राशि की फाईल तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु कहा। आवारा मवेशियों को पकडकर गौशाला एवं आवारा श्वानों को पकडकर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड भेजने तथा ए.बी.सी. कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। 1 जनवरी से निगम द्वारा दी जाने वाली भवन निर्माण स्वीकृति चेक करें, एमओएस में हो निर्माण। सार्वजनिक स्थानों तथा मुख्य मार्गो पर बिल्डींग मटेरियल सप्लायरों द्वारा सडकों पर डाल रखा है। सभी चिन्हीत करने के साथ ही उनको हटवाये जाने के निर्देश रिमूव्हल टीम प्रभारी को दिये। मटेरियल नही हटाने पर कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त को दिये। एमजी रोड पर चल रहे कार्यो की समीक्षा करते हुये आयुक्त ने बन रहे नाले निर्माण के कार्य में प्रगति लाने के साथ कार्य कराये जाने के निर्देश दिये। आयुक्त ने सीएम हेल्प लाईन से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिये साथ ही वार्ड उपयंत्रियों से कम्पाउंडिंग की कार्रवाई पर फौकस देने हेतु कहा। कम्पाउंडिंग के कार्यो में प्रगति नही होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये कार्यो मे प्रगति लाने हेतु कहा। अमृत 2.0 अन्तर्गत वार्डो मे डल रही पानी की पाईप लाईन से दिये जाने वाले नल कनेक्शनों पर जल उपभोक्ताओं से नल कनेक्शन की बकाया राशि अनिवार्य रूप से वसुलने के निर्देश दिये।

महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर स्क्रीनिंग पर जागरूकता सेमिनार

देवास। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर स्क्रीनिंग विषय पर एक जागरूकता सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के फैकल्टी सदस्यों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। सेमिनार की मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रितु शारदा (गायनेकोलॉजिस्ट) रहीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक पहचान, समय पर जांच एवं नियमित स्क्रीनिंग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। संस्थान के चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। वहीं प्राचार्य डॉ. योगेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने उद्बोधन में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों को विद्यार्थियों एवं फैकल्टी के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। सेमिनार का सफल आयोजन डॉ. शहला जाफरी, डॉ. अंकित शर्मा एवं डॉ. विभा पाटणकर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन (एंकरिंग) छात्रा इंशिरा खान एवं छात्र हितेश राय द्वारा प्रभावी रूप से किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित फैकल्टी सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। आयोजकों ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

संकल्प से समाधान अभियान

देवास। संकल्प से समाधान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना संकल्प से समाधान में शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। 12 जनवरी से 15 फरवरी तक इस अभियान के तहत निगम सीमा क्षेत्र मे प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन हितग्राही मूलक योजनाओं के शिविर केम्प आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राही को मिले इस हेतु सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये हैं जो हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर रहे है। दिनांक 11 फरवरी को वार्ड 22 एवं वार्ड 23, 12 फरवरी को वार्ड 24 वार्ड 25, 13 फरवरी को वार्ड 42 वार्ड 43 तथा 14 फरवरी को वार्ड 44 एवं वार्ड 45 में शिविर आयोजित होगें।

सीता अष्टमी पर्व पर हुए धार्मिक आयोजन

बागली। पिपरी सीता अष्टमी पर श्री सीता माता मंदिर पर हवन पूजन एवं महा आरती संपन्न हुई पूजा अर्चना पंडित अभिषेक दुबे पंडित जितेंद्र के सानिध्य में संपन्न हुई यजमान के रूप में अल्केश मेहता ने हवन पूजन करवाया माता जी को 56 भोग लगाकर महा आरती के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया 56 भोग गुप्ता परिवार की ओर से रहा एवं भंडारे की व्यवस्था समाजसेवी हरकचंद माहेश्वरी उदय नगर धर्मेंद्र गुप्ता पोला खाल एवं गुप्ता परिवार पिपरी की ओर से रही इतने बड़े आयोजन में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का मौजूद नहीं होना जन चर्चा में रहा दानदाताओं ने जो भी कुछ राशि यहां पर सहयोग में दी वह सभी भंडारे में खर्च की गई भंडारा प्रात: 12.30 से प्रारंभ होकर 5.30 तक जारी रहा जन चर्चा में है कि मंदिर की 100 बीघा जमीन होने के बावजूद मंदिर की व्यवस्था सुचारू नहीं होना मंदिर पर इस वर्ष रंग रोगन भी नहीं किया गया जनप्रतिनिधि इस और ध्यान देवें यह मंदिर प्राचीन तीर्थ स्थल आस्था श्रद्धा का केंद्र है यह मेल लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से लग रहा है स्वर्गीय रामचंद्र हिटलर कहते थे मैंने यह मेला सन 1925 से मैं यहां पर कपड़े की दुकान लगाई थी उनकी तीसरी पीढ़ी अब यहां कपड़े की दुकान लगा रही है वही शांतिलाल जैन उदय नगर का कहना है मैंने सन 1975 में यहां पर लगभग 20 वर्षों तक होटल लगाई थी तथा उनके पिता श्री भी यहां पर दुकान लगाते थे यह मेलासैकड़ो वर्षों से चल रहा है शासन का ध्यान नहीं होना जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं होना श्रद्धालु भक्तों के मन को दुखित करता है जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी ईश् और ध्यान दें जनता ने पहल की है भंडारे की व्यवस्था मैं भोजन करने की व्यवस्थाधर्मेंद्र मंडलोई के नेतृत्व में जनजातीय विकास समिति के सदस्यों की काफी भूमिका रही उन्होंने पूरे समय अपनी सेवा दी जिसकी सराहना की गई

लाईफ सिटी कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव

कलेक्टर ने क्रय-विक्रय व नामान्तरण पर तत्काल रोक लगाई
कालोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

सोनकच्छ। कालोनाइजर द्वारा लुभावने सपने दिखाकर लोगों को अवैध कालोनी में भूमि बेचने वाले कालोनाइजर पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए उक्त कालोनी में भूमि के क्रय-विक्रय व नामांतरण पर रोक लगा दी है। उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी प्रिया चंद्रावत के प्रतिवेदन पर की गई। ग्राम पंचायत सांवेर में लाइफ सिटी नाम से एक कालोनी विकसित की गई है जिसमें रहने वाले रहवासियों द्वारा पिछले दिनों कालोनी में सुविधाओं के आभाव को लेकर एक आवेदन जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह को दिया गया था। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि कालोनी में कॉलोनाईजर द्वारा ड्रेनेज सिस्टम, नल जल सुविधा, कालोनी में लाईट सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था व कालोनाईजर द्वारा बताए अनुसार सुविधाए प्रदाय नहीं की गई। कालोनाईजर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएं जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम चंद्रावत व तहसीलदार संजय गर्ग द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि वाटर हेड टैंक बंद पाया गया। स्ट्रीट लाईट की लाइन बंद होने से रात के समय कालोनी में अंधेरा रहता है। जिससे की बच्चों की सुरक्षा व चोरियों की समस्या बनी रहती है। साथ ही कालोनी की ड्रेनेज लाईन कई जगहों से टूटी है, जिससे की रहवासीयों को बहुत समस्या आ रही है। कालोनी के आस-पास में निर्मित बाउंड्रीवाल टूटी हुई है, जिससे की असमाजिक तत्व व मवेशी कालोनी में आ जाते है, जिससे की रहवासीगण व बच्चों की सुरक्षा हमेशा प्रभावित होती रहती है। वहां के प्लाट धारकों सहित मौजूदा मकान मालिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें अभी तक यह जानकारी नहीं दी जा रही है। उक्त कालोनी पंचायत को हेंडओवर की गयी है, या नहीं। वहीं एसडीएम द्वारा कालोनाईजर याकुब खां पिता छोटे खां, निवासी खजराना इंदौर को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें भूमि के व्यपवर्तन आदेश की प्रति, व्यपवर्तन चालान की प्रति, टीएनसी प्रमाण पत्र, रेरा पंजीयन की प्रति, प्रयोजन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व एलआईजी / ईडबलयूएस के भूखण्ड/भवन का विक्रय व उपबंध आदि की प्रति आहूत कर उक्त संबंध में स्पष्टीकरण/जवाब मांगा गया। लेकिन कालोनाइजर द्वारा सूचना उपरांत भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में कालोनाईजर याकुब खां पिता छोटे खां, निवासी खजराना इंदौर, द्वारा ग्राम पंचायत सांवेर क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनी विकसित की गयी है, जिस हेतु इनके विरूद्ध मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 61-क से 61ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एसडीएम द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए ल प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को दिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार संपूर्ण जांच में प्रथम दृष्ट्या कालोनाइजर द्वारा बिना किसी सक्षम अनुज्ञा के प्रश्नाधीन भूमि पर कालोनी विकसित किया जाना पाया गया। कालोनाइजर का यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। जिस पर कलेक्टर द्वारा कालोनी की भूमि के क्रय-विक्रय एवं नामान्तरण पर पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई जाने का आदेश दिया है और कालोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

लाइसेंसी शराब दुकान से अवैध देशी शराब जब्त

इंदौर से मंगवाई गई 20 पेटी शराब बेचने का आरोप, आबकारी जांच में जुटी

देवास। जिले में देशी शराब के विक्रय को लेकर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बावड़ियां क्षेत्र स्थित एक लाइसेंसी शराब दुकान से आबकारी विभाग ने इंदौर से मंगवाई गई 20 पेटी देशी शराब जब्त की है। नियमों के अनुसार देवास जिले में केवल सोम कंपनी की देशी शराब की बिक्री की अनुमति है, इसके बावजूद ग्रेट गेलेंन कंपनी की देशी शराब दुकान पर बेची जा रही थी।

कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने दुकान पर कार्यरत एक सेल्समेन को पकड़कर पूछताछ शुरू की है। संबंधित शराब दुकान मनप्रीत जुनेजा उर्फ मोनू सरदार से जुड़ी बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व भी इसी दुकान से जुड़े मामले में इंदौर से अवैध रूप से शराब मंगवाकर बिक्री किए जाने का प्रकरण सामने आया था, जिस पर बरोठा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बावजूद दोबारा अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान लाइसेंसी ठेकेदार मौके से निकल गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। फिलहाल आबकारी विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जब्त शराब के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। अब देखना यह होगा कि आबकारी विभाग इस मामले में कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है और दोषियों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

नशे के विरोध मे आबकारी विभाग अधिकारी का पुतला दहन

टोंकखुर्द। तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द में युवक कांग्रेस टोंकखुर्द ब्लॉक अध्यक्ष योगेन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में एंव जनपद पंचायत टोंकखुर्द अध्यक्ष पोपसिंह ठाकुर जिरवाय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश मंडलोई (जैन) एंव युवा कांग्रेस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कृपाल सिंह मकवाणा की विशेष उपस्थिति में गली गली बिकने वाली अवैध शराब एंव नशे के विरोध मे आबकारी विभाग अधिकारी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम के पश्चात युवाओं की समस्याओं, अधिकारों एवं संगठन की मजबूती पर सार्थक चर्चा हुई।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्रम सिंह गालोदिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष आरिफ पटेल, रोहनसिंह राजपूत, इरफ़ान पटेल, जितेन्द्र जागीरदार, हेमेंद्रसिंह शक्ति बना, प्यारसिंह जीरवाय, गजराज मकवाना, पुंजिलाल मकवाना, दिलीप भाटी, डा.महेन्द्र सिंह, राजपाल जसोना, आशीष अम्लावतिया, रवि मालवीय, सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को सायबर फ्राड से बचने के तरीके बताए

छात्राओं ने नुक्कड नाटक के माध्यम से दिया संदेश

देवास। महारानी पुष्पमाला राजे पवार शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम बांगर में प्राचार्य डॉ जी डी सोनी के मार्गदर्शन में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के पांचवें दिवस का आयोजन उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। प्रथम सत्र के अंतर्गत आयोजित बौद्धिक सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि साइबर सेल देवास से प्रधान आरक्षक शिवप्रताप सिंह सेंगर एवं अमलतास हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर मौसिम खान द्वारा माता सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्वलन से शुभारंभ किया गया। शिवप्रताप सिंह सेंगर ने विद्यालय एवं महाविद्यालय की छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी एवं नवीनतम साइबर ठगी के तरीकों एवं इनसे बचाव की जानकारी दी साथ ही छात्रों को इंटरनेट मीडिया सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी, फर्जी जॉब या लोन ऑफर, डिजिटल पेमेंट से जुड़े जोखिम एवं बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी एवं डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर मौसिम खान ने बताया कि मानसिक तनाव बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रत्येक लेवल पर पाया जाता है। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या होने पर घबराएं नहीं बल्कि अपने मित्र या गुरु से बातचीत कर हमेशा सकारात्मक सोच रखें। इसके पश्चात महाविद्यालय की स्वयंसेवक छात्राओं द्वारा ग्राम में सामाजिक कुरीतियों एवं सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरुक करते हुए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयां कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा एवं नशाखोरी आदि समस्याओं से अवगत कर दुष्प्रभाव से अवगत कराना था। इस अवसर पर महाविद्यालय की कार्यक्रम अधिकारी डॉ क्रांतदर्शी सिंदल, डॉ अनीता भाना, डॉ वर्षा जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

विशेष शिविर के छठवें दिन अमलतास हॉस्पिटल की टीम के सहयोग से ग्राम वासियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम वासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई साथ ही महाविद्यालय की टीम प्रो अंकित सक्सेना छात्रा तनिष्का एवं अलीशा खान द्वारा ग्राम वासियों के आभा आईडी कार्ड बनाए गए।

हिलटॉप अकादमी में नेत्र व दंत परीक्षण

देवास। इंडियन डेंटल एसोसिएशन, देवास शाखा द्वारा बीते रविवार को शहर की हिलटॉप अकादमी में रोशनी आई क्लिनिक एवं सर्जरी सेंटर के सहयोग से नि:शुल्क नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को आंखों और दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉ. नेहा आनंद, संरक्षक डॉ. नितिन मूंगी एवं सचिव डॉ. निष्ठा जैन के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में हिलटॉप अकादमी के विद्यार्थियों एवं दंत जांच के लिए आए नागरिकों सहित कुल लगभग 100 से 120 लोगों की नि:शुल्क दंत जांच की और आवश्यकतानुसार दवाएं बांटी गई। शिविर में एसोसिएशन से डॉ. वकार अहमद, डॉ. प्रतीक श्रीवास्तव, डॉ. अभिषेक सोनी, डॉ. अशोक सेंधव, डॉ. वसीम पठान, डॉ. तंजिला कुरैशी, डॉ. किरण मिश्रा, डॉ. वरुण त्रिपाठी, डॉ. अभिषेक सोनी एवं डॉ. वैदिक पटेल की उपस्थिति रही, जिससे शिविर सफल रहा।

सेवा निवृत्त शिक्षक सुमन का किया अभिनंदन

देवास। 41वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवा निवृत्त हुए शिक्षक पी एन सुमन का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्हें परिषद द्वारा अभिनंदन पत्र एवं शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और उनके सेवा कार्य और उनके द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई दी। आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप ऐसे ही गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते रहे यह हमारा आपसे आग्रह है क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं और शिक्षा व धन है जो कभी चोरी नहीं होता और उसे पाकर व्यक्ति अधिकारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और राजनेता बनते हैं। उक्त विचार परिषद के अध्यक्ष आत्माराम परिहार ने व्यक्त किये। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद पूर्व प्राचार्य केपी कॉलेज देवास प्रो बी एस मालवीय, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मदनलाल जेठवा, हेमराज मोठिया, परिषद के जिला प्रभारी डॉ मुन्ना सरकार, महासचिव कांतिलाल सोलंकी, वरिष्ठ समाजसेवी डॉ पवन कुमार चिल्लोरिया संचालक प्राइम हॉस्पिटल्स देवास आदि ने भी सुमन सर का पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया।

एक नजर — उल्लेखित क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक लोगों का समूह एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगा

परीक्षाओं के सुगम एवं सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में विभिन्न परीक्षाओं के सुगम एवं सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर छात्र/शैक्षिक हित को दृष्टिगत रखते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण जनसामान्य को जिला देवास स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर की परिधि हेतु उक्त वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति / समूह, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न घूमेगा। कोई भी व्यक्ति / समूह उक्त परिधि या कही भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार नहीं करेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाईल, कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मेसेज आदि प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ समूह उक्त परिधि में सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तार यंत्र, माईक, चोंगा का उपयोग नहीं करेगा। समूह परीक्षा से संबंधित अधिकारी/ वीक्षक (इन्वीजीलेटर), कर्मचारी के साथ बहस या परीक्षा विरोधी वार्तालाप या डराने धमकाने अथवा रोकने का कार्य / प्रयास नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा केंद्रो पर परीक्षा में नकल या सामूहिक नकल करने या कराने का कार्य / प्रयास नहीं करेगा। उक्त उल्लेखित क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक लोगों का समूह एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगा।परीक्षा केंद्र के निकटस्थ स्थित कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान का संचालक या कार्यकर्ता परीक्षाओं के संचालन में विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति / समूह को अपनी दूकान / प्रतिष्ठान में आश्रय नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति या समूह उक्त परिधि में अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियार न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका उपयोग करेगा। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा।